



आयकर केन्द्र
CENTRALIZED PROCESSING CENTER
INCOME TAX DEPARTMENT

पोस्ट बैग २, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस, बंगलोर ५६०१००

Post Bag No.2, Electronic City Post Office, Bangalore-560100

फ़ोन- ९८००४२५२२२९, ९८००९०३४४५५ (टॉलफ्री) ०८० २२५४६५००

Telephone: 18004252229, 18001034455 (Toll Free) or 080-22546500

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(1) के अधीन संसूचना

INTIMATION U/S 143(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

Name & Address: VISHNU GAJABHAU GHUMRE B NO 34 ROOM NO 116 GANDHI NAGAR RAHIWASHI SUNG OPP B NO 34 CHEMBUR CAMP MUMBAI MAHARASHTRA 400074 INDIA Ph:919619156719				नाम और पता विष्णु गजाभऊ घुमरे बी नं ३४ रूम नं ११६ गांधी नागर रहिवासी संग बी नं ३४ चेम्बूर कैम्प मुंबई महाराष्ट्र ४०००७४ इंडिया फ़ोन- ९१९६१९१५६७१९	
लिंग Gender: MALE	निर्धारण वर्ष A.Y. 2015-16	आई टी आर प्रकार ITR Type: ITR-4 ORIGINAL	आदेश की तिथि Date of Order: 20-08-2016	पत्र संदर्भ संख्या Communication Reference No: CPC/1516/A4/1618844430 Refund Sequence No: 7755050312 प्रतिदाय अनुक्रम संख्या	
प्रास्थिति INDIVIDUAL		Status: धारा 139(4) के अंतर्गत Return filed under section: 139(4)		इ फाइलिंग पावती संख्या 319189270270716 E-Filing Acknowledgement No:	
आवासीय स्थिति Residential Status: RESIDENT		मूलविवरणीदाखिल करने की नियत तारीख Due Date for Filing Original Return: 07-09-2015		विवरणीदाखिल करने की तारीख Date of Filing Return: 27-07-2016	स्थायी खाता संख्या PAN: AEDPG7360L
Aadhar Number*: आधारसंख्या				Passport Number*: पासपोर्टसंख्या	

आय कर संगणना

INCOME TAX COMPUTATION (IN RUPEES)

क्रम संख्या Sl.No.	विवरण Particulars	विवरण देने वाले शीर्ष Reporting Heads	करदाता द्वारा आय विवरणी में दिए ब्योरे As Provided by Taxpayer in Return of Income	धारा 143(1) के अधीन संगणित As Computed Under Section 143(1)
1	HEADS OF INCOME	वेतन से आय INCOME FROM SALARY	6,07,082	6,07,082
2		गृह संपत्ति से आय INCOME FROM HOUSE PROPERTY **	0	0
3		करबार या वृत्ति से लाभ एवं प्राप्तियां INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION **	12,960	12,960
4		पूंजी अभिलाभ INCOME FROM CAPITAL GAINS **	0	0
5		अन्य स्रोतों से आय INCOME FROM OTHER SOURCES **	0	0
6		चालू वर्ष के घाटे का शीर्ष समायोजन के अंतर्गत INTRA HEAD ADJUSTMENT OF CURRENT YEAR LOSSES	NA	0
7		कुल (शीर्ष के अंतर्गत समायोजन के बाद) TOTAL (AFTER INTRA HEAD ADJUSTMENTS) 7=(1+2+3+4+5)-6	6,20,042	6,20,042
8		७ के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ LOSSES OF CURRENT YEAR SETOFF AGAINST 7	78,432	78,432
9		७ के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियाँ BROUGHT FORWARD LOSSES SET OFF AGAINST 7	0	0

The* implies as entered by taxpayer. करदाता द्वारा दर्ज किया गया के रूप में निकलता है।

नोट कृपया पत्र व्यवहार में पत्र संदर्भ संख्या, आदेश की तिथि और स्थायी खाता संख्या जरूर लिखें

NOTE: Always quote Communication Reference Number, Date of Order and PAN.

अगर आपके द्वारा दावाकृत राशी और गणित राशी में कोई अंतर है तो वह अनुबंध ईस आदेश के साथ संलग्न t.mohite@somaiya.edu इ मेल आईडी में भेजा गया है

In case there is variance in figures, 'As entered' in return and 'As computed', an annexure with relevant schedules is enclosed along with intimation order and sent to t.mohite@somaiya.edu

स्थायी खाता संख्या	PAN:	नाम Name	निर्धारण वर्ष A.Y.	आदेश की तिथि Date of order
AEDPG7360L		VISHNU GAJABHAU GHUMRE	2015-16	20-08-2016
क्रम संख्या SI.No.	विवरण Particulars	विवरण देने वाले शीर्ष Reporting Heads	करदाता द्वारा आय विवरणी में दिए ब्यौरे As Provided by Taxpayer in Return of Income	धारा 143(1) के अधीन संगणित As Computed Under Section 143(1)
10		सकल कुल आय GROSS TOTAL INCOME 10=7-(8+9)	5,41,610	5,41,610
11		विशेषदरपरकरकेआयप्रभार्य INCOME CHARGEABLE TO TAX AT SPECIAL RATE	0	0
12		धारा 10A/10AA के अधीन कटौती DEDUCTION U/S 10A/10AA	0	0
13	DEDUCTIONS UNDER CHAPTER VI A	अर्द्धाय VI ए के अधीन कुल कटौतियां TOTAL DEDUCTIONS UNDER CHAPTER VIA	1,50,000	1,50,000
14		कटौतियों के बाद कुल आय TOTAL INCOME AFTER DEDUCTIONS 14=(10-12-13)	3,91,610	3,91,610
15		शुद्ध कृषि आय NET AGRICULTURAL INCOME	0	0
16		संकलित आय AGGREGATE INCOME	3,91,610	3,91,610
17		अग्रणीत किये जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां LOSS IN CURRENT YEAR TO BE CARRIED FORWARD	0	0
18		धारा 115JC के अंतर्गत कुल आय पर टैक्स TAX PAYABLE ON DEEMED TOTAL INCOME UNDER SECTION 115JC (4 of SCHEDULE AMT)	0	0
19		अधिभार (18 पर) SURCHARGE (ON 18)	0	0
20		माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा उपकर सहित शिक्षा उपकर EDUCATION CESS, INCLUDING SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CESS ON (18+19)	0	0
21		समझा कुल आय पर कुल देय टैक्स TOTAL TAX PAYABLE ON DEEMED TOTAL INCOME (18+19+20)	0	0
22		साधारण आय पर कर TAX ON NORMAL INCOME	14,161	14,161
23		विशेष आय पर कर TAX ON SPECIAL INCOME	0	0
24		कृषि आय पर छूट REBATE ON AGRICULTURAL INCOME	0	0
25		कुल आय पर संदेय कर TAX PAYABLE ON TOTAL INCOME (22+23-24)	14,161	14,161
26		धारा 87A के अधीन रिबेट REBATE U/S 87A	2,000	2,000
27	कर की ब्यौरा	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर TAX PAYABLE AFTER REBATE 27=(25-26)	12,161	12,161
28	TAX DETAILS	अधिभार (27 पर) SURCHARGE (ON 27)	0	0
29		शिक्षा अधिभार जिसके अंतर्गत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा अधिभार भी है EDUCATION CESS, INCLUDING SECONDARY AND HIGHER EDUCATION CESS ON (27+28)	365	365

स्थायी खाता संख्या PAN:	नाम Name	निर्धारण वर्ष A.Y.	आदेश की तिथि Date of order
AEDPG7360L	VISHNU GAJABHAU GHUMRE	2015-16	20-08-2016

क्रम संख्या Sl.No.	विवरण Particulars	विवरण देने वाले शीर्ष Reporting Heads	करदाता द्वारा आय विवरणी में दिए ब्यौरे As Provided by Taxpayer in Return of Income	धारा 143(1) के अधीन संगणित As Computed Under Section 143(1)
30		सकल कर दायित्व GROSS TAX LIABILITY 30=(27+28+29)	12,526	12,526
31		देय सकल कर GROSS TAX PAYABLE (HIGHER OF 21 AND 30)	12,526	12,526
32		पहले के वर्षों में भुगतान कर के धारा 115JD के तहत CREDIT UNDER SECTION 115JD OF TAX PAID IN EARLIER YEARS	0	0
33		धारा 115JD अंतर्गत कर के बाद देय टैक्स TAX PAYABLE AFTER CREDIT UNDER SECTION 115JD (33=31-32)	12,526	12,526
34	कर राहत TAX RELIEF	धारा 89 के अधीन राहत RELIEF U/S 89	0	0
35		धारा 90/90A के अधीन राहत RELIEF U/S 90/90A	0	0
36		धारा 91 के अधीन राहत RELIEF U/S 91	0	0
37		कुल कर राहत TOTAL TAX RELIEF 37=(34+35+36)	0	0
38	कुल आय कर दायित्व TOTAL INCOME TAX LIABILITY	सकल कर दायित्व NET TAX LIABILITY 38=(33-37)	12,526	12,526
39	संदेय ब्याज INTEREST PAYABLE	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए धारा 234A FOR DEFAULT IN FURNISHING THE RETURN (SECTION 234A)	0	0
40		अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए धारा 234B FOR DEFAULT IN PAYMENT OF ADVANCE PAYMENT (SECTION 234 B)	0	0
41		अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए धारा 234C FOR DEFERMENT OF ADVANCE TAX (SECTION 234C)	0	0
42		कुल ब्याज दायित्व TOTAL INTEREST LIABILITY 42=(39+40+41)	0	0
43		सकल आय कर दायित्व AGGREGATE INCOME TAX LIABILITY 43=(38+42)	12,526	12,526
44	संदत्त कर PRE-PAID TAXES	टी डी एस TDS	72,267	72,267
45		टी सी एस TCS	0	0
46		अग्रिम कर ADVANCE TAX	0	0
47		स्वयं निर्धारण कर SELF ASSESSMENT TAX	0	0
48		कुल कर भुगतान TOTAL TAX CREDIT 48=(44+45+46+47)	72,267	72,267
49		प्रतिदाय राशि REFUND AMOUNT 49=(48-43)	59,740	59,741

स्थायी खाता संख्या AEDPG7360L	PAN:	नाम VISHNU GAJABHAU GHUMRE	निर्धारण वर्ष 2015-16	A.Y.	आदेश की तिथि 20-08-2016	Date of order
---	-------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------	-----------------------------------	----------------------

क्रम संख्या Sl.No.	विवरण Particulars	विवरण देने वाले शीर्ष Reporting Heads	करदाता द्वारा आय विवरणी में दिए ब्यौरे As Provided by Taxpayer in Return of Income	धारा 143(1) के अधीन संगणित As Computed Under Section 143(1)
50	REFUND	करदाता के करण देरी (महीनों में) DELAY ATTRIBUTABLE TO TAX PAYER (IN MONTHS)	N/A	0
51		प्रतिदाय पर धारा 244A के अधीन ब्याज INTEREST U/S 244A ON REFUND (on item 49 above)	N/A	299
52		धारा 244A के अधीन ब्याज पर कटौती किया गया टी. डी. एस. TDS DEDUCTED ON INTEREST PAID U/S 244A (on item 51 above and for NR only)	N/A	0
53		कुल आय कर प्रतिदाय TOTAL INCOME TAX REFUND 53=(49+51-52)	59,740	60,040
54	TAX PAYABLE	शुद्ध संदेय राशि NET AMOUNT PAYABLE 54=(43-48)	0	0

<p>५५.प्रतिदाय राशि की सीमा तक समायोजित करने के बाद कुल बकया मांग और धारा २२०(२) के अधीन संदेय ब्याज</p> <p>55. THE REFUND AMOUNT DETERMINED IN THIS ORDER WHICH HAS BEEN ADJUSTED TOWARDS OUTSTANDING DEMAND AND INTEREST</p> <p>बकया राशि के विरुद्ध प्रतिदाय समायोजन के ब्यौरे यदि कोई हैं, तो इस जानकारी के लिए कृपया संलग्न किए गए बकया कर मांग संलग्नक का संदर्भ लें।</p> <p>(FOR DETAILS OF OUTSTANDING DEMAND PLEASE REFER TO ANNEXURE ATTACHED)</p>			0
<p>56. शुद्ध प्रतिदेय राशि NET AMOUNT REFUNDABLE TO TAX PAYER AFTER ADJUSTMENT AGAINST OUTSTANDING DEMAND 56=(53-55)</p>			60,040
<p>57. प्रतिदाय अनुक्रम संख्या REFUND SEQUENCE NO:</p>			7755050312
<p>58. शुद्ध संदेय राशि NET AMOUNT PAYABLE 58=(43-48)</p>			0
<p>59. मांग पहचान संख्या DEMAND IDENTIFICATION NO:</p>			

Communication Reference No.


स्थायी खाता संख्या	PAN:	नाम Name	निर्धारण वर्ष A.Y.	आदेश की तिथि Date of order
AEDPG7360L		VISHNU GAJABHAU GHUMRE	2015-16	20-08-2016

Note:

- 1) Detailed notes sent as annexure to below email id **t.mohite@somaiya.edu**
- 2) The ** implies before Intra and Inter head adjustment.
- 3) If your return is a belated return, provision of carry forward of losses will be governed by section 80, read with section 72, section 73, section 74 and section 74A of the Income Tax Act.

नोट्स :

- 1.) हिन्दी में नोट्स का अनुबंध इस आदेश के साथ संलग्न नीचे दिए गए ई-मेल में भेजा गया है।
t.mohite@somaiya.edu |
- 2.) ** से अर्थ अंतर एवं अंतः-शीर्षसमायोजन से है।
- 3.) यदि आपका रिटर्न विलंबित रिटर्न है तो आयकर अधिनियम की धारा 72, 73, 74 एवं 74ए के साथ पठित धारा 80 के अनुसार हानि को अग्रणीत करने का प्रावधान नियंत्रित होगा।



Digitally signed by
Date: 20160901034251
Reason: DIGITALLY SIGNED
Location: BANGALORE - CPC

Nirmala,

Deputy Commissioner of Income Tax, CPC

यह पत्र कंप्यूटर से बना है और इस पर हस्ताक्षर का रहना जरूरी नहीं है। ईमेल द्वारा भेजे गये मामले में यह आयकर विभाग सीपीसी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक प्रमाणित प्राधिकारी से प्राप्त है। किसी भी जानकारी के लिए, कृपया उम्मीर दिए टेलीफोन नंबर पर कॉल करें और संचार संदर्भ संख्या उल्लेख करें।

This communication is computer generated and may not contain signature. Where sent by email, this is signed with the digital signature of the Income Tax Department - CPC, which is obtained from a certifying authority under the Information Technology Act, 2000. For any queries, please quote the Communication Reference Number and call on the telephone number provided above.



Communication Reference No.

स्थायी खाता संख्या	PAN:	नाम <i>Name</i>	निर्धारण वर्ष <i>A.Y.</i>	आदेश की तिथि <i>Date of order</i>
AEDPG7360L		VISHNU GAJABHAU GHUMRE	2015-16	20-08-2016

Note:

-> The Refund, if any, is issued by State Bank of India on behalf of the Income Tax Department. Interest under section 244A of the Income Tax Act, 1961 is computed up to the date of issue of the refund.

-> The Refund status details can be obtained from website www.tin-nsdl.com, under "Status of Tax Refunds". In case of any difficulty or delay in the receipt of refund, kindly call the State Bank of India Call Center number 18004259760 to know the status of refund.

-> If you are not satisfied with the intimation u/s 143(1), you may seek rectification as per section 154 by filing an online application for rectification, for which details are available on website <http://incometaxindiaefiling.gov.in> with your User ID and Password and choosing **Rectification Request** under **My Account** section.

-> To know the Common Errors that are made while filing Income Tax Return, you may log on to

<https://incometaxindiaefiling.gov.in> -> Help Tab -> E - Filing (Common Mistakes in E-Filing)

To know the Common Errors noticed in E filed rectification requests, you may log on to

<https://incometaxindiaefiling.gov.in> -> Help Tab -> Rectification (Common Error)

-> Heads of Income not relevant to this ITR may kindly be ignored.

-> For any further clarification regarding demands adjusted (if any) where the AO (Intimating Demand)[column 6 of the table showing details of adjustments of refund infra] is other than CPC, please contact your current jurisdictional Assessing Officer (AO). In order to know your current jurisdictional Assessing Officer (AO) you may log on to

<https://incometaxindiaefiling.gov.in> and click on "Know your Jurisdictional A.O" under "SERVICES" menu. Any rectification/correction of the demand can be made only by the Jurisdictional Assessing Officer. CPC cannot carry out any modifications to the above demands nor can it clarify issues regarding these demands.

-> In case of any variance in the 'As Entered' and 'As Computed' values, kindly also refer to the Schedule CYLA along with the Schedules for the corresponding Heads of Income.

-> Variance in 'As entered' and 'As computed' figures for 'Total Income after Deductions' may be due to incorrect section code entered in Schedule SI or details entered under incorrect classification of schedule CG/Schedule OS'.

-> Variance in 'As entered' and 'As computed' figure in schedule BFLA may be due to incomplete details furnished in schedule Unabsorbed Depreciation (Schedule UD) and or (Schedule CFL).

-> In case, if there is a claim for 89(1) relief. You have to upload form No.10E(at e-filing portal) as per the provisions of Income Tax Act, 1961.

स्थायी खाता संख्या	PAN:	नाम Name	निर्धारण वर्ष A.Y.	आदेश की तिथि Date of order
AEDPG7360L		VISHNU GAJABHAU GHUMRE	2015-16	20-08-2016

-> प्रतिदाय, यदि कोई हो, आयकर विभाग की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किया जाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244 ए AA के तहत ब्याज की गणना प्रतिदाय के जारी होने की तारीख तक की जाती है।

-> प्रतिदाय की स्थिति का विवरण वेबसाइट www.tin-nsdl.com अधीन स्टातास ऑफ़ टैक्स रीफंड्स से प्राप्त किया जा सकता है। प्रतिदाय की प्राप्ति में कठिनाई या किसी भी देशी के मामले में, कृपया भारतीय स्टेट बैंक के कॉल सेंटर नंबर 18004259760 में कॉल कीजिये और प्रतिदाय की स्थिति पता कीजिये।

-> यदि आप धारा 143(1) सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप सुधार के लिए धारा 154 के अनुसार सीपीसी में इलेक्ट्रॉनिक आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए दाखिल विवरण वेबसाइट <http://incometaxindiaefiling.gov.in> अपने प्रयोक्त आईडी और पासवर्ड के साथ, पर प्रवेश कर, "Rectification Request" के विभाग में "My Account" अनुभाग में, आप अपने खाते में परिवर्तन का अनुरोध दे सकते हैं

-> आयकर विवरणी दाखिल करते समय आम त्रुटियाँ के पता करने के लिए आप <https://incometaxindiaefiling.gov.in> -> Help Tab -> E - Filing (Common Mistakes in E-Filing) पर लॉग इन कर सकते हैं। इ फाइलड सुधार अनुरोध में पाई गई आम त्रुटियाँ पता करने के लिए, आप <https://incometaxindiaefiling.gov.in> -> Help Tab -> Rectification (Common Error) पर लॉग इन कर सकते हैं।

-> इस आईटीआर के लिए अप्रासंगिक आय के प्रमुखों को कृपया उपेक्षा कीजिये

-> सीपीसी को छोड़ कर, किसी भी समायोजित मांग (यदि कोई हो) के स्पष्टीकरण के लिए, जहां ए ओ (मांग के सुचना करने वाले) प्रतिदाय के समायोजन का विवरण दर्शाने वाली तालिका के 6 स्तंभ] कृपया अपने वर्तमान क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (एओ) से संपर्क करें आदेश में अपने वर्तमान क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी (एओ) को पता करने के लिए आप <https://incometaxindiaefiling.gov.in> पर लॉग इन करें और "सर्विसेस" मेनू के तहत "क्नोव जुरिस्टिक्शोन" पर क्लिक करें। कोई परिहार / मांग के सुधार क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के द्वारा ही किया जा सकता है। सीपीसी, उपर्युक्त मांगों में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकता है न ही इन मांगों के बारे में मुद्दों को स्पष्ट कर सकता है।

-> अगर आपके द्वारा दावाकृत राशी और गणित राशी में कोई अंतर है तो कृपया आय मर्दे के अनुसूची के साथ CYLA अनुसूची भी देखें।

-> विचरण, 'प्रवेश किया गया' और 'कटौती के बाद कुल आय' के लिए आंकड़े, 'गणना' के कारण अनुसूची एसआई या 'अनुसूची सी.जी / अनुसूची ओएस के गलत वर्गीकरण के तहत दर्ज किए गए विवरण में दर्ज गलत अनुभाग कोड के लिए हो सकता है।

-> विचरण, 'प्रवेश किया गया' और 'गणना किया गया' अनुसूची बीएफएलए में यह आंकड़ा अनुसूची मूल्यहास में प्रस्तुत अधूरी जानकारी के कारण हो सकता है।

-> आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, यदि धारा 89(1) के अधीन छूट का दावा बनता है तो आपके फर्म संख्या 10E (e-filing portal, ई फायलिंग पोर्टल) पर अपलोड करना होगा।